

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

श्रीमती पुष्पा देवी बनाम कारीलाल शर्मा (वगैरे)

फिल्ल नुकदना प्रा.पत्र 111-12-8 नं० 89 सन् 2020

दिनांक	हुकम या कारावाही मया इनिशयल्ल जज	नम्वर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
7-6-20	<p>बाद / प्राथनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जायें। पत्रावली दिनांक 14-7-20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p>	
14-7-20	<p>उपपक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय कार्य से बाहर हैं। अवकाश पर हैं / पदरिक्त हैं। अतः पत्रावली दिनांक 11-8-20 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
11-8-20	<p>पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक को पेश हो।</p> <p>25-8-20</p>	
15-9-20	<p>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये, तदुपलक्ष्य माण्डल से मौका विपट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली की गई, अप्रार्थीगण से कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नहीं इसके विकल्प एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते हैं वकील प्रार्थीगण के</p> <p>उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	



हुकम या कार्यवाही मय इनिशियट्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

तारीख
हुकम

बहस करनी - वाही, वकील प्रार्थी गण
की बहस सुनी गयी, वकील प्रार्थी गण
का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर
निर्णय पृथक् से लिखा जाकर शामिल
पत्रावली किया गया। पत्रावली फेरसल शुमार
द्वेकर मन्तर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
सांडल जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी-महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या - 89/20 प्र.पञ.

- 1- श्रीमती पुष्पा देवी vs श्री जगदीश चन्द्र अल (व्यवसाय) निवासी - पीथी काग्रेस तह. माण्डल
- 2- श्री लक्ष्मीनारायणजी श्री मोहनलालराव (नाम) _____

-प्रार्थी

बनाम

- 1- श्री काशीलाल जो श्री गोबिंद लाल शर्मा निवासी - लेखा तहसील - माण्डल
- 2- राजस्थान राज्य परिषद तहसीलदार माण्डल तहसील - माण्डल

-विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक:- 15-09-20

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम.....लेखा.....पटवार हल्का.....लेखा.....तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी नं: 682.....कुल किता.....01.....रकबा.....04.....बीघा.....01.....बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीना चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 17-06-20 को पंजीबद्ध किया जाकर रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की रा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को रखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम.....लेखा.....पटवार हल्का.....लेखा.....तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं: 682.....कुल किता.....01.....रकबा.....04.....बीघा.....01.....बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक.....वापरास.....400/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा